कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

फोन नं.–07723–223305, फैक्स नं.–07723–223302, Email Id-msamund.cg@nic.in

// आदेश //

क्रमांक / 309 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुंद, दिनांक 24 / 04 / 2020

WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है। इसके सम्भाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिये तथा इस पर नियंत्रण हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 208 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 24.03.2020, 238 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 31.03.2020, 259 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 09.04.2020 एवं 295 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 21.04.2020 द्वारा आदेश प्रसारित किये गए है।

02 / इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त आदेशों के तहत् जिला महासमुन्द के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 03.05.2020 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) का आदेश जारी किया गया है।

03 / इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त तीनों आदेशों की कंडिका **"स"** में वर्णित कार्यालय / प्रतिष्ठान / सेवाओं को पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) के प्रतिबंध से शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3 / 2020–DM-I(A) दिनांक 15.04.2020 व 16.04.2020 के परिपालन में कंडिका "स" वर्णित सूची में वृद्धि करते हुए बढ़ते क्रम में निम्नानुसार कार्यालय / प्रतिष्ठान / सेवाओं को भी शर्तों के अधीन पूर्णतया (लॉकडाउन) से छूट प्रदानकी जाती है :–

स– 26. निम्न वस्तुओं / सेवाओं से संबंधित गतिविधियां :–

44. छड़, सीमेंट की दुकानें,

45. पंखा, कूलर, इलेक्ट्रानिक्स की दुकानें,

सप्ताह में 01 दिन खुली रहेंगी। दिवस का निर्धारण स्थानीय स्तर पर संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी करेंगे। शेष दिवस व्यापारी होम डिलिवरी कर सकेंगे।

46. स्टेशनरी एवं किताब की दुकानें सप्ताह में 01 दिन खुली रहेंगी। दिवस का निर्धारण स्थानीय स्तर पर संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी करेंगे।

04 / उक्त कंडिका **"स"** के अंतर्गत पूर्व के आदेशों एवं इस आदेश के तहत् लॉकडाउन से छूट प्रदान किये गए कार्यालय / प्रतिष्ठान / सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी, कि लॉकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग), स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिये जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे।

05 / कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालयीन आदेश

–क्रमांक 208 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 24.03.2020
–क्रमांक 238 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 31.03.2020
–क्रमांक 259 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 09.04.2020
– क्रमांक 295 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 21.04.2020

के अनुक्रम (Continuation) में इस आदेश को जारी किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला–महासमुन्द (छ.ग.)

24/04

कलेक्टर
जिला दण्डाधिकारी
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)
महासमुन्द (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

पृ.क्रमांक / 309 / क / एस.डब्ल्यू / 2020 महासमुंद, दिनांक 24 / 04 / 2020

प्रतिलिपि :–

01. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02. सचिव, छ.ग. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सादर सूचनार्थ।

04. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद को सूचनार्थ।

05. पुलिस अधीक्षक महासमुंद को सूचनार्थ।

06. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

07. सर्व तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

08. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

09. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

10. सर्व विभाग प्रमुख, जिला महासमुंद को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

11. सहायक संचालक, जनसंपर्क महासमुंद को समाचार–पत्र में प्रकाशनार्थ।

24.04.

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुंद (छ.ग.)